

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

पी०ए०सी०,

पी०ए०सी० मुख्यालय,

उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग

10-लखनऊ: दिनांक: 04-08-2025

विषय:- मानसून के दृष्टिगत पीएसी की बाढ़ राहत कम्पनियों में उपलब्ध कमी के सापेक्ष कतिपय उपकरणों के क्रय आदि हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से अनुदान की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-पी०ए०सी०-तीन-809/2023 (बा०रा०उ०)/1118 दिनांक 17.07.2025, जोकि प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन को सम्बोधित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ राहत दलों के उपयोगार्थ आवश्यकता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित कतिपय उपकरणों के क्रयार्थ हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि ₹0 19,09,200/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र०सं०	उपकरण का नाम	संख्या	दर प्रति यूनिट	कुल व्ययभार
1	लाइफ जैकेट	210	2,000/-	4,20,000/-
2	ड्रैगन सर्च लाइट	96	6,500/-	6,24,000/-
3	फ्यूल कन्टेनर (जरीकेन)	309	2,800/-	8,65,200/-
			योग	19,09,200/-
(₹0 उन्नीस लाख नौ हजार दो सौ मात्र)				

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में मानसून के दृष्टिगत उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ राहत दलों के उपयोगार्थ, आवश्यकता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत उपरोक्त तालिका में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य आपदा मोचक निधि के मानक मद 10 से ₹0 19,09,200/- की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, उ०प्र० के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। गृह विभाग/पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित विभाग को प्राप्त नहीं हुई हो।
- (2) वही उपकरण क्रय किये जायेंगे जो मानकों के अनुसार उपयुक्त एवं आवश्यक होंगे तथा उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हो, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार जैम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए०एम०सी०/सी०एम०सी० भी करायी जायेगी।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्व विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी० मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/वजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (7) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1- 11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचन/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे

वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रसूतर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(11) राज्य आपदा मोचक निधि के सबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 19,09,200/- (₹0 उन्नीस लाख नौ हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-10 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फंड से व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
SHAIENDRA MANI TRIPATHI
Date: 04-08-2025 12:07:25
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्या:- 802(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 4- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, 30प्र0, लखनऊ।
- 5- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
- 7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 8- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 9- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-05/08/2025

प्रेषण संख्या:- 802

आवंटन आदेश संख्या:- 001-802

अनुदान संख्या:-

लेखाशीर्षक:-

51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2495-डी0 आई0 जी0 - पीएसी मुख्या0-सेक्टर -जोन कार्या0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	1909200 1909200	1909200 1909200
	योग	वर्तमान प्रगामी	1909200 1909200	1909200 1909200

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया उनीस लाख नौ हजार दो सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उनीस लाख नौ हजार दो सौ


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।